

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी  
जिला नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सविता शर्मा, आर.ए.एस.  
मुकदमा नम्बर : 293/2022  
GCMS NO. 2022/852

1. सुमेर सिंह पुत्र मागू
2. बन्शी पुत्र भैरुराम
3. राजेन्द दत्तक पुत्र पभाता
4. माला पुत्र बसन्ताराम
5. नेतराम पुत्र प्रसादाराम
6. मातादीन पुत्र रिछपाल
7. कुरडाराम पुत्र रिछपाल
8. बाबूलाल पुत्र हनुमान

1. लगायत 8 समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नई कोठी तन माधोगढ, तहसील, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

.....वादीगण

— बनाम —

1. ओकार पुत्र ईशरा
2. गणपत दत्तक पुत्र तुला
3. ग्यारसीलाल पुत्र पदमा
4. देवीसहाय पुत्र धन्नाराम
5. देवीसहाय पुत्र झाबर
6. देवी सिंह पुत्र प्रसादाराम
7. दाताराम पुत्र झाबर
8. दाताराम पुत्र हनुमान
9. बनवारीलाल पुत्र झाबर
10. मूलचन्द पुत्र पदमा
11. महेश कुमार पुत्र छोटूराम
12. मूलचन्द पुत्र पदमा
13. माला पुत्र पदमा
14. रणजीत सिंह पुत्र गोरधन
15. रामेश्वर पुत्र झाबर
16. लीलाधर पुत्र हनुमान
17. विकाश चन्द पुत्र मातादीन
18. संतली देवी पत्नी स्व. छोटूराम
19. महेश कुमार पुत्र छोटूराम
20. सम्पत देवी पत्नी मातादीन
21. सुरेश कुमार पुत्र गोरधन
22. सावलराम पुत्र ईशरा
23. सावलराम पुत्र झाबर

25  
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

24. सोनी देवी पत्नी स्व. गोस्धन  
 25. हजारीलाल पुत्र हनुमान  
 26. नानचाराम पुत्र प्रभातीलाल  
 27. शंकरलाल पुत्र प्रभातीलाल  
 28. रामस्वरूप पुत्र शैतानराम  
 29. ताराचन्द पुत्र शैतानराम  
 30. लक्ष्मण पुत्र शैतानराम  
 31. दाताराम पुत्र शैतानराम  
 1 लगायत 31 समस्त जाति गुर्जर, निवासी नई कोठी तन् माधोगढ, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (राज.)।
32. नाथी पुत्री प्रभातीलाल पत्नी हरिराम  
 33. तीजा पुत्री प्रभातीलाल पत्नी रोहितास  
 32 लगायत 33 समस्त जाति गुर्जर, निवासी गिडानिया, तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू (राज.)
34. बिमला पुत्री झाबर पत्नी शंकर, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरा, जिला झुन्झुनू (राज.)  
 35. मेवली पुत्री पदमा पत्नी सांवल  
 36. झीमली पुत्री पदमा पत्नी ताराचन्द  
 35 लगायत 36 जाति गुर्जर, निवासी गुणीनीचा, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (राज.)
37. सुमित्रा पुत्री पदमा पत्नी जमन, जाति गुर्जर, निवासी कोल्याली, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (राज.)  
 38. मिश्री पुत्री झाबर पत्नी नाथू, जाति गुर्जर, निवासी लाका, तहसील नीमकाथाना, जिला- सीकर (राज.)
39. निमली पुत्री शैतानराम पत्नी मंगेजा  
 40. बघेरी पुत्री शैतानराम पत्नी पप्पू  
 39 लगायत 40 जाति गुर्जर, निवासी भिटेरा, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (राज.)
41. मणी पुत्री शैतानराम पत्नी सुभाष  
 42. ग्यारसी पुत्री शैतानराम पत्नी  
 43. कमला पुत्री शैतानराम पत्नी पप्पू  
 41 लगायत 43 जाति गुर्जर, निवासी देवता, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (राज.)
44. सुनिता पुत्री छोटूराम पत्नी विनोद, जाति गुर्जर, निवासी गोलवा, तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनू (राज.)
45. रामजीलाल पुत्र स्व. भोला  
 46. रघुवीर पुत्र स्व. भोला  
 47. प्रकाश पुत्र स्व. भोला  
 45 लगायत 47 समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नई कोठी तन माधोगढ, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (राज.)
48. टिड्डो पुत्री स्व. भोला पत्नी थावर, निवासी ग्राम डाबला, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
49. ओमप्रकाश पुत्र धन्ना जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नई कोठी तन् माधोगढ, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (राज.)
50. केशर पुत्री हरचन्द पत्नी श्योराम, निवासी ग्राम बाकोटी, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (राज.)

25

उपखण्ड अधिकारी, खेतडी

51. गुलाब पुत्री बीरबल पत्नी गुरुदयाल, निवासी ग्राम कालोटा, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (राज.)
52. दुर्गा पुत्र गोरु
53. दुर्गाप्रसाद पुत्र गोरुराम गुर्जर ढाणी कुम्भावली तन् माधोगढ
54. घूडाराम पुत्र बीरबल
55. नौरगलाल पुत्र बीरबल
56. पतारी पत्नी सुल्तान
57. बशीधर पुत्र हरचन्द
58. मूलचन्द पुत्र बीरबल
59. मातादीन पुत्र धन्ना
60. माला पुत्र बल्ला  
52 लगायत 60 समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नई कोठी तन् माधोगढ, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (राज.)
61. मिश्री पुत्री हरचन्द पत्नि बनवारी निवासी ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
62. मोहर सिंह पुत्र बीरबल
63. रणजीत पुत्र सुल्तान
64. राजेश कुमार पुत्र बीरबल
65. रामकुमार पुत्र बीरबल (फौत)  
62 लगायत 65 समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नई कोठी तन् माधोगढ, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (राज.)
66. सुवा पुत्री बीरबल पत्नी रोहिताश, निवासी ग्राम अडवाना, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू (राज.)
67. चिडिया देवी पुत्री धन्ना
68. जगदीश पुत्र बीरबल
69. प्रदीप पुत्र दुर्गाप्रसाद  
67 लगायत 69 समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नई कोठी तन् माधोगढ, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (राज.)
70. बनारसी पुत्री धन्ना पत्नी तेजाराम, निवासी: ग्राम लाका, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
71. बाईपा पुत्री धन्ना पत्नी बनवारी, निवासी ग्राम लाका, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
72. बसन्ती पुत्री धन्ना पत्नी राजकुमार, निवासी ग्राम चला, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
73. रामचन्द्र पुत्र बीरबलराम
74. राहुल पुत्र दुर्गाप्रसाद
75. लीलाधर पुत्र हनुमान
76. विजयपाल पुत्र दुर्गाप्रसाद
77. श्रवणी पत्नी बीरबलराम
78. सुलोचना पुत्री बीरबलराम
79. सन्दीप पुत्र दुर्गाप्रसाद
80. सुमित्रा पत्नी दुर्गाप्रसाद

2

उपखण्ड अधिकारी, खेतडी

- 73 लगायत 80 समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नई कोठी तन् माधोगढ, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (राज.)
81. विमला पुत्री वीरबलराम पत्नी सीताराम, निवासी ग्राम नानूवाली बावडी, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (राज.)
82. सुलोचना पुत्री वीरबलराम पत्नी दाताराम, निवासी ग्राम नानूवाली बावडी, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (राज.)
83. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बवाई जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा बवाई, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (राज.)
84. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सेफरागुवार जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा सेफरागुवार, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (राज.)
85. बैंक ऑफ बडौदा शाखा खेतडी जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा खेतडी, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (राज.)
86. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार खेतडी, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (राज.)
87. केशर पत्नी स्व. रामकुमार
88. बलराम पुत्र रामकुमार
89. दलीप कुमार पुत्र रामकुमार

..... प्रतिवादीगण

दावा – खाता विभाजन  
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :-

1. श्री हेमराज सिंह	अभिभाषक	वादीगण
2. श्री पीयूष सुरोलिया	अभिभाषक	प्रतिवादी सं. 2, 45, 46, 47
3. श्री सुरेश कुमार सैनी	अभिभाषक	प्रतिवादी सं. 1, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 22, 25, 28, 29, 54, 76

—: निर्णय :-

दिनांक :- 15.07.2024

उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 11.12.2023 को पारित कर तहसीलदार खेतडी को इस आशय की तहरीर जारी की गई कि वाद वादीगण रवीकार कर वाके ग्राम नई कोठी पटवार हल्का माधोगढ तहसील खेतडी हाल जिला नीमकाथाना राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 के हाल खाता संख्या 21 के हाल खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.73 हेक्टेयर, हाल खाता संख्या 22 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 1106, 1107, 1108, 1117, 1118, 1120, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1141, कुल कित्ता 19 कुल रकबा 4.01 हेक्टेयर, हाल खाता संख्या 161 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 615, 616, 637, 638, 641, 642, 643,

२

उपखण्ड अधिकारी, खेतडी

644, 646, 647, 648, 649, 650 कुल किता 13 कुल रकबा 7.67 हेक्टेयर, हाल खाता संख्या 163 के हाल खसरा नम्बर 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102 कुल किता 7 कुल रकबा 4.44 हेक्टेयर, हाल खाता संख्या 164 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214 कुल किता 24 कुल रकबा 9.70 हेक्टेयर, हाल खाता संख्या 202 के हाल खसरा नम्बर 1122 किता 1 कुल रकबा 0.04 हेक्टेयर तथा हाल खाता संख्या 203 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 1109, 1110, 1112, 1113, 1119, 1121, 1123, 1124, 1125, 1126 कुल किता 10 कुल रकबा 8.25 हेक्टेयर को संयुक्त मानते हुये वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01, 05, 08, 09, 13, 14, 15, 19, 22, 25, 29, 54, 76 का हाल खाता संख्या 21, 22, 161, 163, 164, 202, 203 में दर्ज हिस्से अनुसार 12 फुट चौड़ा रास्ता कायम करते हुये मौका कब्जा काश्त के अनुसार खाता अलग-अलग कायम कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष पक्षकारान का खाता संयुक्त रखा जावे। तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को 2000 रू. के खर्चे पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है, कि वे पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06-11-2004 व राजस्व (गुप-6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प. 3 (17) राज-6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30-09-2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्य नजर रखते हुये माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म. /न्याय/स्था./प-15/2008/ विविध/10546 दिनांक 05-10-2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र इस न्यायालय में भिजवायें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरुद्ध प्रस्तावित किया जावे।

तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी द्वारा न्यायालय निर्णय की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक भू.अ./2024/291 दिनांक 08.02.2024 द्वारा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.02.2024 का अधिवक्ता उभय पक्षकारान को अवलोकन कराया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.02.2024 के मुताबिक वाद वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा प्रलेखीय दस्तावेजात् का आद्योपान्त परीक्षण किया गया।

५

**उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी**

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.02.2024 (प्रदर्श-‘अ-1 से 38’ व ‘ब’) के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—: आदेश :-

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.02.2024 (प्रदर्श-‘अ-1 से 38’ व ‘ब’) के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श-‘अ-1 से 38’ व ‘ब’) इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार खेतड़ी मुताबिक प्रदर्श-‘ब’ के भूमि का सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Handwritten signature)*  
15/7/24

(सविता शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी  
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)  
डिक्री व मुकदमे इब्तदाई  
( आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' -I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सविता शर्मा, आर.ए.एस.

सुमेर सिंह आदि

.....वादीगण

ब-ना-म

औंकार आदि

..... प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955

मुकदमा नम्बर :- 293/2022

GCMS NO. 2022/852

निर्णय दिनांक :- 15.07.2024

वादीगण की ओर से श्री हेमराजसिंह एडवोकेट की व प्रतिवादी संख्या 01, 05, 08, 09, 13, 14, 15, 19, 22, 25, 28, 29, 54, 76 की ओर से श्री सुरेश कुमार सैनी एडवोकेट की तथा प्रतिवादी संख्या 2, 45, 46, 47 की ओर से श्री पीयूष सुरोलिया एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.07.2024 को सविता शर्मा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.02.2024 (प्रदर्श-‘अ-1 से 38’ व ‘ब’) के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श-‘अ-1 से 38’ व ‘ब’) इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार खेतड़ी मुताबिक प्रदर्श-‘ब’ के भूमि का सीमांकन करवायेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



*Smt*  
15/7/24

(सविता शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी  
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी